

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत

मुकाम

गोणराय

बनाम

ओम प्रकाश चाणक व अन्य

रस मुकदमा

श्री. पी.

नं.

2025/235

सन्

2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इत हुकम की तामील में जारी हुए
19 ⁰⁸ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4, 7, 8 व 9 की नैटिह तामिल प्राप्त व अप्रार्थी सं. 6 व 7 के नैटिह अद्यत तामिल। उपयुक्त अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त। अप्रार्थी सं. 1 की झोर वकालत नामा पेश किया गया व अप्रार्थी सं. 3, 4 व 7 की झोर वकालत नामा पेश किया गया। उपस्थित प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहल हुई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/8/25 को पेश हो।</p>	
26 ⁰⁸ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन किया गया व अध्ययनकारण की बहल पर मत किया गया। प्रकरण में भातनीय उच्च न्यायालय, राजस्थान (जोधपुर)।</p>	

जिला कलेक्टर, जोधपुर

जिला कलेक्टर, जोधपुर (राज.)
जिला कलेक्टर, जोधपुर

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अदालत
हुक्म
में

SR Civil writ Petition No. 10181/2025
के आदेश दिनांक. 28/05/2025 के
पैरा 4 ले 8 में " 4. This Court is
surprised rather shocked to see such
an order passed by the Board of Revenue.
Insisting that by the trial Court is
a discretionary and innocuous order,
having regard to the facts and circum-
stances of the case. Maybe, in a given
case such an order of the trial Court
may be uncalled for, But once such
period of 7 days had already passed
and the trial Court had not only
commenced the proceedings but had
also proceeded with the matter,
one fails to comprehend how the
Board of Revenue can interfere in
such an innocuous order that too
holding that the matter involves
substantial question of law. J. Issue
Notice. Issue Notice of the stay
application also, returnable within
six weeks. 6. Meanwhile, the effect
and operation of the order dated
18.09.2024 in tenancy revision case

जिला कलेक्टर, जयपुर (राज.)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

No. 6846/2024 passed by the
Board of Revenue shall remain stayed.

1. A Copy of this order be sent to the
Registrar, Board of Revenue, who is
herby directed to forthwith send back the
record and place a copy of this order before
the chairman, Board of Revenue for perusal.

2. Registry is directed to send a copy of
this order to the ~~Principal Secretary~~
Revenue department and Chief Secretary
who are directed to have a review of
the functioning of the Board of and take
necessary steps to improve the appointment
process, while keeping a vigil over their
performance. Because, such type of orders
come before this court quite often, which
not only amounts to harassment of the litigants
But also increase unnecessary burden of this Court "

का वर्जन है। उपरोक्त अधिकारी लूजी के
आफ रिपोर्ट का की अवलोकन किया गया।
प्रकरण में लंबाचालित कार्य प्रणाली में कोई
की उल्लंघन नहीं है तथा प्रकरण गत कई
वर्षों से विचाराधीन है। प्रकीर्णन जाया
गया अनुतोष आफ नहीं होने पर

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

तारीख
हुयम

हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम
कार्य
हुयम
म

~~सम्बन्ध~~ सदन न्यायालय में अपील
कर सक्ते हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार
पार्थीगण का स्थानान्तरण प्रवृत्ता पत्र
खारिज किया जाता है। आदेश हुआ
गया। आदेश की प्रति सम्बन्धित
न्यायालय को उचित की अवधि पत्रावली
फैलव हुआट एकट दाखिल पत्र है।

↓
जिला क्लर्क, कोयपुर (राज.)